न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 112/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गंगासिंह पुत्र भोपालसिंहजी जाति राजपूत आयु 62 वर्ष पेशा खेती निवासी मण्डवारियॅा तहसील व जिला सिरोही		1– हेमसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत आयु 65 वर्ष निवासी मण्डवारियॉ तहसील व जिला सिरोही 2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री रामकरण वैष्णव वकील प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तह.सिरोही की ओर से तहसीलदार सिरोही

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 30–12– 2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 तक के विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 19–12–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा मण्डवारियॉ तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खाता संख्या नया 36 पुराना खाता संख्या 34 खसरा संख्या 749 क्षैत्रफल 0.65 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 कुल किता 01 कुल क्षैत्रफल 0.65 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त कृषि आराजी का प्रार्थी खातेदार कृषक है तथा काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थीी के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के पश्चिम दिशा मे अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या नया	खाता संख्या पुराना	खसरा संख्या	क्षैत्रफल	किस्म
291	279	747	0.54.00 हैक्टेयर	चाही 3
		748	0.1100 हैक्टेयर	बारानी 3

कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 0.65 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी खसरा नंबर 747 व 748 श्री हेमसिंह वल्द भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डवारियॉ के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2074–2078 मे दर्ज है। उक्त कृषि आराजी व प्रार्थी की कृषि आराजी पूर्व मे एक ही खातेदारी भोपालसिंहजी के नाम से दर्ज थी लेकिन आपसी बंटवाड होने से मौके पर नक्शे अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी को राजस्व कृषि आराजी प्राप्त हुई है। पूर्व मे प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो ही उक्त कृषि आराजी मे आने जाने हेतु खसरा संख्या 747 जो कि वर्तमान मे अप्रार्थी के नाम कृषि आराजी दर्ज है, उस तक रास्ता राजस्व रेकर्ड मे तरमीम है लेकिन आपसी बंटवाड होने से व आराजी के टुकडे होने के कारण अप्रार्थी को रास्ते से वंचित होना पड रहा है। अप्रार्थी के खसरा संख्या 747 तक रास्ता है जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज है। प्रार्थी की अपनी कृषि आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादि के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादि आने ले जाने के लिये पिछले कई वर्षो से सार्वजनिक आम रास्ते से लगती खसरा नंबर 747 व 748 जो वर्तमान मे अप्रार्थी के नाम दर्ज हे जिसके किनारे (लोर) के सहारे सहारे अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 749 मे पिछले कई वर्षो से आता जाता रहा है तथा उक्त भाग को रास्ते के रूप मे निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है । प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 749 पर आने जाने हेतु जिस भाग को रास्ते के रूप में उपयोग कर रहा है उक्त रास्ते की आराजी संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड (........) कर दर्शाया गया है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आवश्यकता है क्योंकि अप्रार्थी ने वर्तमान मे रास्ता बंद करने की मंशाा जाहिर की है एवं प्रार्थी को वहॉ से अपनी कृषि आराजी खसरा संख्या 749 मे आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रार्थना पत्र के साथ पेश संलग्न नक्शे को प्रार्थनापत्र का अंग समझा जावें। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता,विकल्प नही है प्रार्थी द्वारा उपयोग किया जा रहा है रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे मे इन्द्राज नही होने से अप्रार्थी संख्या 01 पिछले 2–3 माह से प्रार्थी के आवागमन मे दखलंदाजी दे रहा है व आने जाने मे बाधा उत्पन्न कर रहा है और उक्त रास्ते को जबरदस्ती कांटो की बाड लगाकर बंद करना चाह रहे है एवं रास्ते को अवरूद्व कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी तक आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थी 15 फीट चोडाई मे अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि मे रास्ता चाहता है तथा उक्त भाग को रास्ता घोषित कर उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा उपयोग किये जा रहे रास्ते को (मार्ग) घोषित कर तदनुसार इसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे करने हेतु पेश है। प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र मे यह भी उल्लेख करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो एक ही पूर्वज के सन्तान है तथा आपस मे दोनो सगे भाई है प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता भोपालसिंहजी की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी को आपस मे बंटवाड कर दिया लेकिन रास्ते का बंटवाड राजस्व रेकर्ड मे नही किया गया इस कारण से प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

होने से उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आम रास्ते से प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 749 मे आने जाने हेतु संलग्न नक्शे मे डोटेड (........) भाग जो अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी के खसरा संख्या 747 व 748 मे दर्शाया गया है जो करीब 15 फीट चौडाई मे है को मार्ग (रास्ता) घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड मे जमाबंदी व नक्शे मे इन्द्राज व तरमीम करने का आदेश प्रदान करवाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2071–2074 नया खाता संख्या 36 के खसर संख्या 749 क्षेत्रफल 0.6500 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 ,नक्शा ट्रेस व अप्रार्थी खातेदार हेमसिंह वल्द भोपालसिंहजी कौम राजपूत सा.देह खातेदार के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या नया 291 के खसरा नंबर 747 क्षैत्रफल 0.5400 हैक्टेयर व खसरा नंबर 748 क्षैत्रफल 0.1100 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 व प्रार्थी के आधारकार्ड की प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 19–12–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रार्थनापत्र की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 29–1–2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 22–7–2019 को दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 हेमसिंह को नोटिस तामिल होने के बावजूद न्यायालय निरन्तर हाजिर नही होने तथा आज भी पेशी पर हाजिर नही होने पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को हाजिर होने हेतू न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद न्यायालय समय तक अप्राथ्री संख्या 1 स्वंय का उनके प्रतिनिधि/वकील कोई भी न्यायालय मे हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश दिये गये। पत्रावली वास्ते अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार सिरोही के जवाब हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 30–9–2019 को रखी गई ।

दिनांक 30–9–2019 को न्यायालय मे विचाराधीन इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक 581 दिनांक 30–8–2019 के संलग्न जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि पटवार मण्डल मण्डवारिया के मौजा मण्डवारिया के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 66,246,247,293,294,322,331,341,691,697,698,705,710,711,व 749 कुल किता 15 कुल रकबा 9.7500 हेक्टेयर भूमि आयी हुई है, जो रामग्राबैक शाखा वराडा मे रहन दर्ज है। मौजा मण्डवारिया के खसरा नंबर 64,65,245,295,320,321,330,339,340, 690,699,700,702,712,713,747,व 748 किता 17 रकबा 09.7300 हेक्टेयर हेमसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डवारिया रहन रामग्राबै शाखा वराडा के पक्ष मे रहन दर्ज है। राजस्व रेकर्ड अनुसार मौजा मण्डवारिया के खसरा नंबर 725 किस्म गै.मु. रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

खसरा नंबर 747 तक लगता हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 749 व रेकार्डेड रास्ते के मध्य खसरा नंबर 747 व 748 प्रतिवादी हेमसिंह पुत्र भोपालसिंह के खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई है। प्रार्थी गंगासिंह की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 749 मे किसी प्रकार का रेकार्डड रास्ता नही लगता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 749 व रेकर्डेड रास्ता के मध्य खसरा नंबर 747 व 748 अप्रार्थी हेमसिंह की खातेदारी भूमि आती है। प्रार्थी द्वारा 15 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है जो खसरा नंबर 747 मे से 118 मीटर लम्बा × 4 मीटर चौडा कुल 472 वर्गमीटर और खसरा नंबर 748 मे से 24 मीटर लम्बा × 4 मीटर चौडा बराबर 96 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में काम आयेगी।

दिनांक 16–10–2019 को को न्यायालय मे प्रकरण की सुनवाई के दौरान वकील प्रार्थी ने तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्राथी तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार पटवारी हल्का मण्डवारिया का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिये जा चुके है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि मे जाने के लिये रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः प्रार्थी को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी ट्रेक्टर,बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नहीं होने से तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया उचित समझते है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्टेट तहसीलदार, सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सिरोही प्रस्ताव अनुसार उक्त रास्ते की भूमि खसरा नंबर 747 मे से 118 मीटर लम्बा × 4 मीटर चौडा कुल 472 वर्गमीटर और खसरा नंबर 748 मे से 24 मीटर लम्बा × 4 मीटर चौडा बराबर 96 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप मे काम आयेगी।

इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते हैः–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी संख्या एक हेमसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत निवासी मण्डवारिया, को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.31 17:24:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: